UPET010042622026

<u>न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–02, एटा।</u>

उपस्थितः निशान्त शैव्यः H.J.S.
<u>जमानत आवेदन सं0–1261/2026</u>

विशाल गुप्ता उम्र करीब 36 वर्ष पुत्र राकेश गुप्ता निवासी मौहल्ला कांशीराम थाना अलीगंज जिला एटा।

.......***<u>अभियुक्त</u>***

बनाम

राज्य सरकार ...... ***<u>आपत्तिकर्ता.</u>***

धाराः 25/27 आयुध अधिनियम
थानाः जैथरा, जिला एटा,
<u>अ.सं.: 203/2015</u>.

<u>10.07.2026</u>

प्रार्थी/अभियुक्त विशाल गुप्ता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र अपराध संख्या–203/2015, धारा–25/27 आयुध अधिनियम थाना जैथरा जिला एटा में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त/आवेदक की ओर से कहा गया है कि अभियुक्त/प्रार्थी का कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी मजदूरी करने हेतु चला गया था, वहॉ पर कुछ अराजक तत्वों ने मिलकर मुकदमें में झूठा फंसाकर जेल भिजवा दिया जिस कारण प्रार्थी हाजिर अदालत उपस्थित नहीं हो सका। प्रार्थी के विरूद्व एक तिथि के वारण्ट है। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की गयी है। प्रार्थी प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा। प्रार्थी दिनांक 29.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्व है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

विद्वान अभियोजन द्वारा जमानत का विरोध किया गया है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

Digitally signed by NISHANT SHAIVA
Date: 2026.07.10 16:35:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पत्रावली का परिशीलन किया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों से परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियुक्त के नियत दिनांक पर उपस्थित न होने के कारण न्यायालय द्वारा उनके विरूद्व वारण्ट जारी कर दिये गये थें। अभियुक्त द्वारा मजदूरी करने हेतु बाहर चले जाने एवं जहॉ पर अन्य मुकदमें में अभियुक्त को जेल भेज दिया दिया गया था। अभियुक्त को उक्त प्रकरण में तलब कर बनाकर उक्त प्रकरण में जिला कारागार भेजा गया। अभियुक्त उक्त प्रकरण में दिनांक 29.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्व है। अभियुक्त अपनी जमानत देने को तैयार है। अभियुक्त का यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र है। अभियुक्त पूर्व में जमानत पर है। अतः न्यायहित में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः मामले की समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर बिना विचार किये हुए उक्त तथ्य परिस्थितियों में प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आ दे श</u>

प्रार्थी/अभियुक्त विशाल गुप्ता का उक्त प्रकरण में द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा उसके द्वारा मु0 20,000/–रूपये की राशि के निजी बंध पत्र एवं पूर्व में दाखिल बंध पत्रों पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(निशान्त शैव्य)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0–02, एटा.
JO Code-U.P.2743